न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 31/2020
रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00034

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री पंकज जैन पुत्र श्री नथमल जैन जाति जैन मैसर्स दीपक किराणा स्टोर, मेन रोड चन्दुजी का गढा, मु.पो. चन्दुजी का गढा जिला बॉसवाडा

उपस्थित :–

श्री पंकज जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04–11–2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 10.09.2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 24–10–2019 को अप. 01.15 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स दीपक किराणा स्टोर चन्दुजी का गढा पर पहुंचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर श्री पंकज कुमार जैन उपस्थित थे, विक्रेता को खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019 का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत नही किया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर खुले पीपे में करीब 10 कि.ग्रा. रिफाईण्ड सोयाबीन तेल लुज आम जनता को बिक्री हेतु पाया गया। खुला तेल बेचना एफ.एस.एस.ए 2006 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित होने के कारण इसमें सबस्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर रिफाईण्ड सोयाबीन तेल लुज 1600 ग्राम साफ सुखी खाली स्टील की भगौनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 144 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की।

नमूना जांच हेतु किया गया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल लुज 1600 ग्राम विक्रेता तथा गवाह की उपस्थिति में कॉच के चार साफ सुखे व खाली जारो में बराबर मात्रा में (प्रत्येक में करीब 400 ग्राम) भरकर इनका मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बंद किया। प्रत्येक नमुना जार को मोटे व मजबुत कागज में लपेट कर, कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। चारो नमुना जार पर विभाग के कोड व सिरीयल नं.W–553 जिस पर विवरण आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर करा स्वयं ने चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार पर अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाड़ा की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.11.05 12:51:34 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

W – 553 प्रत्येंक नमूना जार के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक सीलबन्द नमूना जार पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर किये गये एवं नमुना जारों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने जाप्ते में लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5–ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढा कर, सुना कर एवं समझा स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2019/ 03 दिनांक 05–11–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल लुज CONTRAVENTION OF REGULATION NO. 2.3.15.1(b) Of food Safety and Standards (Prohition and Restrictions on Sales) Regulation 2011, as the product is sold in loose condition पाया। The sample is violate section 26(2)(v) of the food sefty and the standards act 2006 अन्तर्गत पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 का उल्लंघन एवं उक्त विक्रेता द्वारा अनुसंधान के दौरान वार्षिक टर्न ओवर 11 लाख रुपया होना बताया किन्तु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया। उक्त अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है जो विक्रेता के पास नही होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया जो अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 17–09–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 04–11–2020 को आरोपी श्री पंकज जैन पुत्र श्री नथमल जैन जाति जैन मैसर्स दीपक किराणा स्टोर, मेन रोड चन्दुजी का गढा न्यायालय में उपस्थित हुआ। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। सुनवाई के दौरान आरोपी ने प्रथम अपराध होना बताते हुए दण्ड के विषय पर नरमी का रूख अपनाने निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2019/ 03 दिनांक 05–11–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल लुज CONTRAVENTION OF REGULATION NO. 2.3.15.1(b) Of food Safety and Standards (Prohition and Restrictions on Sales) Regulation

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.11.05 12:51:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2011, as the product is sold in loose condition पाया। The sample is violate section 26(2)(v) of the food sefty and the standards act 2006 अन्तर्गत पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः CONTRAVENTION OF REGULATION NO. 2.3.15.1(b) Of food Safety and Standards (Prohition and Restrictions on Sales) Regulation 2011, as the product is sold in loose condition तथा The sample is violate section 26(2)(v) of the food sefty and the standards act 2006 अन्तर्गत पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 एवं विक्रेता का वार्षिक टर्न ओवर 11 लाख रुपया है, किन्तु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाया गया। उक्त अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है जो विक्रेता के पास नही होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन पाये जाने से अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री पंकज जैन पुत्र श्री नथमल जैन जाति जैन मैसर्स दीपक किराणा स्टोर, मेन रोड चन्दुजी का गढा को 30000/–के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 04–11–2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.11.05 12:51:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner